पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–16] रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 मार्च, 2015 ई0 (फाल्गुन 16, 1936 शक सम्वत्) [संख्या–10

फार्म नं0 4
(नियम 8 देखिये)

1–प्रकाशन	:	रुड़की।
2–प्रकाशन की अवधि	:	साप्ताहिक।
3–मुद्रक का नाम	:	अपर निदेशक, एस0 के0 गुप्ता।
(क्या भारतीय नागरिक हैं)	:	भारतीय।
(यदि विदेशी हों तो मूल देश)	:	—
पता	:	अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।
4–प्रकाशक का नाम	:	अपर निदेशक, एस0 के0 गुप्ता।
(क्या भारतीय नागरिक हैं)	:	भारतीय।
(यदि विदेशी हों तो मूल देश)	:	—
5–सम्पादक का नाम	:	उत्तराखण्ड शासन।
(क्या भारतीय नागरिक हैं)	:	भारतीय।
(यदि विदेशी हों तो मूल देश)	:	—
पता	:	सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6–उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार–पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझीदार हों	:	सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

मैं, एस0 के0 गुप्ता, अपर निदेशक एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

(प्रकाशक के हस्ताक्षर)
एस0 के0 गुप्ता,
अपर निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड,
रुड़की।

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	121—134	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	97—114	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	71—74	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

23 दिसम्बर, 2014 ई0

संख्या 2382/XX(1)-2014-3(12)2004–उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षक, वेतनमान (₹ 15600—39100, ग्रेड पे— ₹ 5400) के पद पर प्रोन्नति कोटे की चयन वर्ष 2014—15 की रिक्तियों के विरुद्ध उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में आयोजित चयन समिति की बैठक दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 को नियमित चयन हेतु की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय, निम्नलिखित स्थायी पुलिस निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष के लिए परिवीक्षाकाल पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

चयन वर्ष 2014—15

क्र0 सं0	नाम	अभ्युक्ति
1	2	2
1.	श्री कुलदीप सिंह असवाल	श्री आनन्द सिंह गुंसाई, पुलिस उपाधीक्षक के दिनांक 31.12.2014 को सेवानिवृत्त होने से उत्पन्न होने वाली रिक्ति के सापेक्ष पदोन्नत
2.	श्रीमती अंशु चौधरी	श्री रघुवीर सिंह असवाल, पुलिस उपाधीक्षक के दिनांक 31.12.2014 को सेवानिवृत्त होने से उत्पन्न होने वाली रिक्ति के सापेक्ष पदोन्नत
3.	श्री दिनेश चन्द्र तिवारी	उक्त क्रमांक—2 पर पदोन्नत किये जा रहे श्रीमती अंशु चौधरी के दिनांक 31.01.2015 को सेवानिवृत्त होने से उत्पन्न होने वाली रिक्ति के सापेक्ष पदोन्नत

2. उक्त सूची में उल्लिखित अधिकारी अपने नाम के सम्मुख स्तम्भ—3 में अंकित अभ्युक्ति में वर्णित अधिकारियों के सेवानिवृत्ति के उपरान्त उत्पन्न होने वाली स्पष्ट रिक्ति की तिथि से पदोन्नत किये जा रहे पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3. उक्तवत् पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों को उक्त सेवा में पूर्व से नियुक्त किये गये तथा नियुक्त किये जाने वाले अन्य अभ्यर्थियों के साथ ज्येष्ठता कालान्तर में उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 तथा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार निर्गत की जायेगी, जो प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या : 35452/2013 (सिविल अपील संख्या : 10804/2013) प्रमोद कुमार एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय/आदेश के अधीन होगी।

आज्ञा से,

एम0 एच0 खान,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग—8

अधिसूचना

27 दिसम्बर, 2014 ई0

संख्या 365/XX(8)2014-12(36)2010—श्री राज्यपाल महोदय, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1974) की धारा 174 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके पूर्व से संचालित शव विच्छेदन गृहों के अतिरिक्त निम्न तालिका के अनुसार स्तम्भ—2 में उल्लिखित नव—निर्मित "शव विच्छेदन गृह (Post-Mortem House)" में, उनके सम्मुख, स्तम्भ—4 में उल्लिखित थाना/तहसील क्षेत्रों के मानव शवों का विच्छेदन तथा चिकित्सकीय परीक्षण कराये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं और तद्नुसार इस अधिसूचना को अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति भी प्रदान करते हैं:—

क्र0 सं0	शव विच्छेदन गृह का नाम	जनपद	सम्बन्धित क्षेत्र का नाम
01	02	03	04
1.	नारसन	हरिद्वार	1. कोतवाली मंगलौर 2. थाना झबरेड़ा
2.	भगवानपुर	हरिद्वार	1. थाना भगवानपुर 2. थाना बुग्गावाला

01	02	03	04
3.	लक्सर	हरिद्वार	1. कोतवाली लक्सर 2. थाना जी0आर0पी0 लक्सर 3. थाना खानपुर
4.	त्यूनी	देहरादून	1. थाना चकराता 2. राजस्व क्षेत्र चकराता 3. राजस्व क्षेत्र त्यूनी
5.	ऋषिकेश	देहरादून	1. थाना ऋषिकेश 2. थाना रायवाला 3. थाना रानीपोखरी
6.	कर्णप्रयाग	चमोली	1. कर्णप्रयाग 2. पोखरी 3. थराली
7.	जोशीमठ	चमोली	1. जोशीमठ 2. बद्रीनाथ

आज्ञा से,

एम0 एच0 खान,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 365/XX(8) 2014-12(36)2010, dated December 27, 2014 for general information.

NOTIFICATION

December 27, 2014

No. 365/XX(8) 2014-12(36)2010--In exercise of the powers conferred by Section 174 of the Code of Criminal Procedure 1973 (2 of 1974), The Governor is pleased to hereby notify the following Newly constructed Post-Mortem Houses as mentioned in Column-2, for Post- Mortem and Medical examination of the Human Corpses of the Police Station/Tehsil areas mentioned before them in column-4, in addition to the Post-Mortem Houses functioning at present.

S. No.	Post-Mortem House	District	Jurisdiction
01	02	03	04
1.	Narsan	Hardwar	1. Kotwali Manglour 2. Police Station Jhabrera
2.	Bhagwanpur	Hardwar	1. Police Station Bhagwanpur 2. Police Station Buggawala
3.	Laksar	Hardwar	1. Kotwali Laksar 2. Police Station GRP Laksar 3. Polioe Station Khanpur
4.	Tiuni	Dehradun	1. Police Station Chakrata 2. Revenue Area Chakrata 3. Revenue Area Tiuni

S. No.	Post-Mortem House	District	Jurisdiction
01	02	03	04
5.	Rishikesh	Dehradun	1. Police Station Rishikesh 2. Police Station Raiwala 3. Police Station Rani Pokari
6.	Karanprayag	Chamoli	1. Karanprayag 2. Pokhari 3. Tharali
7.	Joshimath	Chamoli	1. Joshimath 2. Badrinath

By Order of the Governor,

M. H. KHAN,
Principal Secretary.

गृह अनुभाग–1

विज्ञप्ति/नियुक्ति

01 जनवरी, 2015 ई0

संख्या 2427/XX(1)-2014-3(21)2005–उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2010 के परीक्षा परिणाम के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की गृह विभाग को प्राप्त चयन संस्तुति के आधार पर प्रमुख सचिव, कार्मिक उत्तराखण्ड शासन के अनिवार्य प्रशिक्षण/औपबन्धिक नियुक्ति हेतु निर्गत दिशा–निर्देश संख्या–600/XXX(2)/2014 दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 के क्रम में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 तथा ऐसी अन्य समस्त सेवा शर्तें जो समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी, के अन्तर्गत उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा में पुलिस उपाधीक्षक (वेतनमान ₹15600–39100, ग्रेड वेतन ₹ 5400) के पद पर निम्न प्रस्तर–2 में व्यक्त की गयी शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नितान्त अस्थायी एवं पूर्णतः औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने तथा औपबन्धिक प्रथम नियुक्ति पर उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 07–01–2015 से 28–03–2015 तक आयोजित आधारभूत प्रशिक्षण हेतु तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पिता का नाम	अभ्यर्थी के डाक/पत्राचार का पता
1	2	3	4
1.	श्री शेखर चन्द्र सुयाल	स्व0 महेश चन्द्र सुयाल	ग्राम व पोस्ट–सुयालबाड़ी, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड, पिन कोड–263135
2.	सुश्री कमला बिष्ट	स्व0 जगत सिंह बिष्ट	ग्राम–हरिपुर पूर्णानन्द, पोस्ट–अर्जुनपुर, गोरापड़ाव, हल्द्वानी (जिला नैनीताल), उत्तराखण्ड, पिन कोड–263139
3.	श्री अभय कुमार सिंह	श्री तेज बहादुर सिंह	प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कॉलेज, रामपुर न्यालसुं, जिला रूद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड, पिन कोड–246471
4.	श्री मनोज कुमार ठाकुर	श्री हरि सिंह	41, घोसी गली, देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन कोड–248001
5.	श्री बीर सिंह	श्री भेकल सिंह	ग्राम व पोस्ट–मौन, विकाखण्ड–नैनीडाण्डा, तहसील धुमाकोट, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पिन कोड–246277

2. उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन है :-

(1) उक्त नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में लम्बित रिट याचिका संख्या : 67/2014 शैलेश भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या : 86/2014 हेम चन्द्र एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या : 106/2014 सुमित भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 562/2011 नन्द किशोर बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या : 326/2011 आशुतोष भट्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या : (PIL) 67/2011, रिट याचिका संख्या : 330/2013 अजय डुंगराकोटी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, रिट याचिका संख्या : 208/2014 पुष्पेन्द्र चौधरी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं पी0सी0एस0 परीक्षा, 2010 से सम्बन्धित अन्य याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय/आदेश के अधीन होगी।

(2) यदि किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन, उत्तराखण्ड महिला वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों के स्थायी निवास प्रमाण–पत्रों की जाँच तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण–पत्रों की जाँच सक्षम अधिकारियों से कराये जाने पर यदि किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा कोई प्रमाण–पत्र जाली अथवा त्रुटिपूर्ण पायी जाती है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध नियमानुसार अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(3) यदि किसी अभ्यर्थी के State Medical Board द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी।

(4) परिवीक्षा अवधि के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

(5) Indian Official Secret Act, 1923 के प्राविधानों को पढ़ लिया जायेगा तथा इसमें उल्लिखित प्राविधानों एवं दिशा–निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाना आवश्यक होगा।

(6) उक्तवत् नियुक्त किये जा रहे अभ्यर्थियों की उक्त सेवा में नियुक्त किये गये तथा नियुक्त किये जाने वाले अन्य अभ्यर्थियों के साथ पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 एवं सरकारी सेवकों के ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में अन्य सुसंगत नियमावलियों एवं नियमों/शासनादेशों/मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार बाद में निर्धारित की जायेगी।

(7) नियुक्त किये जा रहे अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में योगदान/कार्यभार ग्रहण/प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट करने हेतु कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अनुमन्य/देय नहीं होगा।

(8) उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में आधारभूत प्रशिक्षण हेतु मार्ग दर्शक सिद्धांत संलग्न किया जा रहा है, जिसमें उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुसरण किया जाना आवश्यक होगा।

3. उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में योगदान/कार्यभार ग्रहण के अवसर पर उक्तवत् नियुक्त किये जा रहे समस्त अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण–पत्र योगदान आख्या के साथ सक्षम अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे :-

(1) अभ्यर्थियों द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा–पत्र।

(2) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों।

(3) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा–पत्र/शपथ–पत्र।

(4) Indian Official Secret Act-1923 के प्राविधानों को पढ़ लिये जाने तथा उसके प्राविधानों एवं दिशा–निर्देशों का पूर्णतः पालन किये जाने के सम्बन्ध में घोषणा–पत्र।

(5) लिखित रूप में एक "Undertaking" कि यदि पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन, स्थायी निवास प्रमाण–पत्रों की जाँच, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में जाति प्रमाण–पत्रों की जाँच तथा स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने अथवा कोई प्रमाण–पत्र जाली/त्रुटिपूर्ण पाये जाने की स्थिति में उन्हें प्रदान की गयी नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

आज्ञा से,

एम0 एच0 खान,
प्रमुख सचिव।

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1

विज्ञप्ति–नियुक्ति

01 जनवरी, 2015 ई0

संख्या 2287/XIII-1/2014-3(12)2014–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2010 के आधार पर अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2010 में कृषि विभाग के अन्तर्गत कृषि सेवा श्रेणी–2 (विकास शाखा, अभियंत्रण शाखा, पौध संरक्षण शाखा एवं वनस्पति शाखा) में वेतनमान ₹15600–39100 + ग्रेड पे ₹ 5400 में इस

प्रतिबन्ध के अधीन नियुक्त करते हैं कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2010 के अन्तर्गत कृषि सेवा श्रेणी–2 के लिए उपयुक्त हो। यदि किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में प्रतिकूल तथ्य/रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जाएगी। श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित तालिका पर उल्लिखित अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष के लिए परिवीक्षाकाल पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम एवं पता
1.	विधि उपाध्याय, पुत्री श्री जे0एन0 उपाध्याय, नियर डी0ए0वी0 स्कूल, हरिपुर नायक कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल।
2.	श्री लोकेन्द्र बिष्ट पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह बिष्ट, सहायक अध्यापक, रा0इ0का0 ओडाडा, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल, स्थाई पता–ग्राम व पो0 बणगांव, विकासखण्ड चिन्यालीसौड, जनपद उत्तरकाशी।
3.	श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द्र शर्मा, सी0–25 नीलियाम कालोनी, पो0 मनपुर वेस्ट, हल्द्वानी, स्थाई पता–ग्राम कुमाटी तहसील कोश्या कुटोली, जिला नैनीताल।
4.	श्री पंकज कुमार पुत्र श्री जगत राम ग्राम मालधन चौड सेक्टर–2, पो0 चन्द्रनगर, तहसील रामनगर, जनपद नैनीताल।
5.	श्री दीपक पुरोहित पुत्र श्री राकेश चन्द्र पुरोहित, डी0आर0डी0ए0 कार्यालय, गोपेश्वर पो0ओ0 गोपेश्वर, जनपद चमोली।
6.	श्री नितेश कुमार पुजारी पुत्र श्री महेश चन्द्र पुजारी, विकासनगर, सेक्टर–3, पो0 हरिपुर नायक, कुसुखेडा, हल्द्वानी स्थाई पता–ग्राम गिनतीगांव पो0 ओ0 कोटाबाग, तहसील कालाढुंगी, जनपद नैनीताल।
7.	श्री अमित कुमार पुत्र श्री डी0के0 आर्य, सरस्वती भवन, निकट गांधी आश्रम, कलावती आश्रम, हल्द्वानी नैनीताल, स्थाई पता–ग्राम तल्ला निंगलाट, पो0ओ0 कैंची, तहसील कोश्या कुटोली, जनपद नैनीताल।
8.	श्री अश्वनी गौतम पुत्र श्री महावीर सिंह, मो0 भूपसिंह, न्यू हॉस्पिटल रोड़ नियर गिरविर की चक्की, जसपुर, ऊधमसिंहनगर।
9.	श्री अमरेन्द्र कुमार चौधरी पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी, ग्राम बागवाला पो0ओ0 दानपुर, जिला ऊधमसिंहनगर।
10.	श्रीमती अभिलाषा अन्थवाल पत्नी श्री सतीश चन्द्र भट्ट, सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1, कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, न्यू सब्जी मण्डी निरंजनपुर, देहरादून, स्थाई पता–ग्राम सरोली, पो0 जखन्याली, घनसाली, जनपद टिहरी
11.	श्री वरूण सिंह पुत्र श्री डी0एन0 सिंह, 43/6 ए, शिवकुटी, तेलीयारगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
12.	श्रीमती रीतू कुकरेती पुत्री श्री दाता राम कुकरेती, विद्या विहार फेस–III, कारगी रोड़, पो0ओ0 देहरादून एवं स्थायी निवासी ग्राम सुण्डलपुर, पो0ओ0 काण्डाखाल जिला पौड़ी गढ़वाल।

2. उक्त सेवा "उत्तर प्रदेश अधनीस्थ कृषि सेवा नियमावली–1995" तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा शर्तों से विनियमित होगी।

3. उपरोक्त अभ्यर्थियों को औपबन्धिक प्रथम नियुक्ति पर उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल में दिनांक 07.01.2015 से 28.03.2015 तक आयोजित आधारभूत प्रशिक्षण हेतु प्रथम नियुक्ति हेतु तैनात किया जाता है।

4. समस्त चयनित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल में अवस्थान के दौरान अकादमी द्वारा ही कराया जाएगा।

5. सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 06.01.2014 को अपरान्हन में उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल में उक्तानुसार अपेक्षित औपचारिकतायें/प्रमाणपत्रों के साथ योगदान प्रस्तुत किया जाएगा। योगदान न करने की स्थिति में यह समझा जाएगा कि व उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और ऐसी स्थिति में उनके अभ्यर्थन/नियुक्ति को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

6. योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थियों के द्वारा निम्नानुसार शपथपत्र पर घोषणा/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे—

1. समस्त चल/अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणापत्र।
2. एक से अधिक जीवित पत्नी न होने अथवा ऐसे पुरूष से विवाह न करने जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, से सम्बन्धित घोषणापत्र।
3. अभ्यर्थियों द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र।

7. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल में योगदान देने हेतु कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

8. उक्त अभ्यर्थियों की कृषि सेवा श्रेणी–2 में ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जाएगी।

9. यह नियुक्ति मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में लम्बित रिट याचिका संख्या–67/2014 शैलेश भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका सं0–86/2014 हेमचन्द्र एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका सं0 106/2014 सुमित भण्डारी बनाम राज्य, रिट याचिका सं0–562/2011 नन्द किशोर बनाम राज्य, रिट याचिका सं0–326/2011 आशुतोष भट्ट बनाम राज्य, रिट याचिका सं0–पी0आई0एल0–67/2011, रिट याचिका सं0–330/2013 अजय डूंगराकोटी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, रिट याचिका सं0 208/2014 पुष्पेन्द्र चौधरी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं इस परीक्षा से सम्बन्धित अन्य याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी

आज्ञा से,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव।

पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग–2

अधिसूचना

09 जनवरी, 2015 ई0

संख्या 06/XII-2/2015/93 (17) 2006 टी0सी0–श्री राज्यपाल महोदय, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग अधीनस्थ अभियान्त्रिक सेवा नियमावली, 2007 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग अधीनस्थ अभियान्त्रिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2014

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग अधीनस्थ अभियान्त्रिक सेवा (संशोधन) नियमावली 2014 है।

2. यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

नियम 4 का संशोधन:– उत्तराखण्ड ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग अधीनस्थ अभियांत्रिक सेवा नियमावली, 2007 (जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम रख दिये जायेगें अर्थात:–

स्तम्भ–1
वर्तमान नियम

सेवा का संवर्ग नियम 4(1) सेवा की सदस्य संख्या–और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या–उतनी होंगी, जितनी सरकार द्वारा समय–समय अवधारित की जाये।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य संख्या निम्नलिखित होगी :–

क0 सं0	पदनाम	पदों की सं0	वेतनमान
1	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	232	रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4600
2	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत / यांत्रिक)	20	रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4600

परन्तु– (एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरें हुए छोड़ सकेंगे या राज्यपाल आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) राज्यपाल समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जो वह उचित समझें।

स्तम्भ –2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(4) (1) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाए।

(2) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक नियम (1) के अधीन परिवर्तन न किया जाए, उतनी होगी जो उपधारा (1) के अनुरूप निर्धारित की जाऐगी;

परन्तु यह कि:–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार आस्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल किसी ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी पद को सृजित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

भाग–दो– भर्ती

नियम 5 का संशोधन :– मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रख दिये जायेगें अर्थातः–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
भर्ती का स्रोत 5– सेवा में भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती व्दारा की जायेगी ।	5– (क) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)/(विद्युत/यांत्रिक) सेवा में भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी । (ख) अपर सहायक अभियन्ता (सिविल)/विद्युत/यांत्रिक) मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ अभियन्ताओं में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा : परन्तु यह कि अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति, कनिष्ठ अभियन्ता के कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष 75 प्रतिशत की सीमा तक ही की जायेगी। परन्तु यह और कि उक्त 75 प्रतिशत पदों पर पदोन्नत अपर सहायक अभियन्ताओं की सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति होने/सेवानिवृत्ति अथवा किसी अन्य कारण से पद के रिक्त होने पर ही कनिष्ठ अभियन्ता के पद उस सीमा तक रिक्त माने जायेंगें। अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप कनिष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता के कार्य एवं दायित्व समान होंगे और एक ही जॉब चार्ट के अधीन होंगे।

भाग –तीन– भर्ती की प्रकिया

नियम 15 का संशोधन

मूल नियमावली के नियम 15(3) के पश्चात नियम 15 –क निम्नवत् जोड़ दिया जायेगा; अर्थात:–

15–क पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया :–

अपर सहायक अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यान्त्रिक)

1 नियुक्ति प्राधिकारी उत्तराखण्ड राज्य के लिए वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा।

2 अपर सहायक अभियन्ता के पद पर भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर निम्नवत् गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी :–

(1) विभागाध्यक्ष – – अध्यक्ष

(2) विभागाध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी जो कि अधीक्षण अभियन्ता से अन्यून श्रेणी का हो – सदस्य

(3) विभागाध्यक्ष कार्यालय में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता अथवा उसके समकक्ष अधिकारी – सदस्य

टिप्पणी:– उक्त चयन समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्यो में से यदि कोई भी अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी का अधिकारी न हो तो उक्त श्रेणी के किसी अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा चयन समिति में नामित किया जायेगा।

परिशिष्ट–"क"

(नियम 4 का उपनियम (2) देखें)

क्र0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	232	9300–34800 ग्रेड पे 4600
2.	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत/यान्त्रिक)	20	9300–34800 ग्रेड पे 4600
3.	अपर सहायक अभियन्ता (सिविल)	*	9300–34800 ग्रेड पे 4800
4.	अपर सहायक अभियन्ता (विद्युत/यान्त्रिक)	*	9300–34800 ग्रेड पे 4800

नोटः– * अपर सहायक अभियन्ता के पद क्रमशः कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल, विद्युत/यान्त्रिक, प्राविधिक के कुल स्वीकृत पद के सापेक्ष 75 प्रतिशत की सीमा अन्तर्गत निर्धारित रहेंगे।

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,

प्रभारी सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **No. 06/XII-2/2015/93(17)/2006 TC,** dated January 09, 2015 for general information.

NOTIFICATION

January 09, 2015

No. 06/XII-2/2015/93(17)/2006 TC--In exercise of the powers conferred by Article 309 of the "Constitution of India" the Governor is pleased to make the following rules with a *view* to further amend the Uttarakhand Rural Engineering Service Department Subordinate Engineering Service Rules, 2007:--

The Uttarakhand Rural Engineering Service Department Subordinate Engineering Service (Amendment) Rules, 2014

Short title and commencement

(1)1-These rules shall be called The Uttrakhand Rural Engineering Service Department Subordinate engineering Service (Amendment) Rules,2014

2- they shall come into force at once.

Amendment of Rule 4

In The Uttarakhand Rural Engineering Service Department Subordinate Engineering Service Rules, 2007 (hereafter referred as principal rules) in place of existing rule given in column 1 below, the rules given in column 2, shall be substituted; namely-

Column-1

Existing Rule

Rule 4 of cadre of service-(1) The strength of members in service and of each categpry therein shall be such as prescribed by the Government from time to time.

(2) unless the orders are not given for change under sub rule (1), the strength of service shall be as under

S.No.	Designation	Number of Posts	Pay Scale
1	Junior Engineer (Civil)	232	9300-34800 Grade pay 4600
2	Junior Engineer (Electrical/ Mechanical)	20	9300-34800 Grade pay 4600

Provided that

(i) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without therby entitling any person to compensation.

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts,as he may consider proper.

Column- 2

Rule is hereby substituted

4 (1) The strength of employees/officers in service and of each category therein shall be such as prescribed by the Government from time to time.

(2) Unless a change is not made under Rule (1) the strength of employees/ officers and of each category therein shall be such as prescribed under sub rule (1).

Provided that

(i) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation.

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts, as he may consider proper.

Part two- Recruitment

Amendment or Rule 5:-

In place of existing rule of principal rules given below column-1 the rule given in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1

Existing Rule

Source of recruitment-5- Recruitment to the service shall be made by direct recruitment through Uttarakhand Public Service Commission

Column-2

Rule is hereby substituted

5-(a) Junior Engineer (Civil/Electrical)/Mechanical)- Recruitment to the service shall be made by direct recruitment through Uttarakhand Public Service Commission.

(b) Additional Assistant Engineer (Civil/Electrical)/Mechanical)- By promotion on the basis of seniority subject to the rejection of unfit from amongst such substantively appointed Junior Engineers who have completed minimum five years service as such on the first day of the year of recruitment;

Provided that the promotion to the post of Additional Assistant Engineers shall be made up to the limit of 75 percent against the total sanctioned posts of Junior Engineers.

After the appraisal/promotion of Additional Assistant Engineers to the post of Assistant Engineer/retirement/ any other reason the 75 percent of post of Junior Engineers will be considered vacant.

Due to promotion to the post of Additional Assistant Engineer, The duties and responsibilities of Junior Engineer and Additional Assistant Engineer shall be same and under the same job chart.

Part three-Procedure of recruitment

Amendment of Rule 15 :--

After rule 15 (3) of the principal rules, rule 15 (A) shall be added as follow ; namely--

15(A) Procedure for the Recruitment by promotion Additional Assistant Engineer (Civil/Electrical/ Mechanical)

(1) The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the year for the state of Uttarakhand

(2) The recruitment to the post of Additional Assistant Engineer shall be made on the basis, of seniority subject to the rejection of unfit through the Selection Committee constituted as follow :--

(a)	Head of the Department	Chairmen
(b)	An officer nominated by the Head of the Department not below the rank of Superintending Engineer	Member
(c)	Executive Engineer posted in the office of head of the Department of an equivalent officer	Member

Note : In case neither Chairman or any member of the above Committee belongs to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes then and officer from the above category shall be nominated to the Committee by the Chairman

Enclosure--"A"

[See sub rule (2) of Rule 4]

S.No.	Designation	Number of posts	Pay Scale
1	2	3	4
1.	Junior Engineer (Civil)	232	9,300-34,800, Grade pay 4,600
2.	Junior Engineer (Electrical/Mechanical)	20	9,300-34,800, Grade pay 4,600
3.	Additional Assistant Engineer (Civil)	*	9,300-34,800, Grade pay 4,800
4.	Additional Assistant Engineer (Electrical/Mechanical)	*	9,300-34,800, Grade pay 4,800

Note :--Against the total Sanctioned posts of Junior Engineer (Civil/Electrical/Mechanical) respectively, the posts of Additional Assistant Engineer shall remain prescribed under the limit of 75 percent.

By Order,

SHAILESH BAGAULI,

Officiating Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 10 हिन्दी गजट/139-भाग 1-2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 मार्च, 2015 ई० (फाल्गुन 16, 1936 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

19 जनवरी, 2015 ई०

पत्रांक 4809/आयु०कर उत्तरा०/वाणि०क०/विधि–अनुभाग/पत्रा० 05/14–15/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 75/2015/19(120)/xxvii(8)/2012/ दिनांक देहरादून 16 दिसम्बर, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के नियम 11 में कर के लिये दायी व्यौहारी अथवा स्रोत पर कटौती करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2014–2015 से सम्बन्धित 30 सितम्बर को समाप्त होने वाले त्रैमास की सावधिक विवरणी दाखिल करने हेतु निर्धारित समय–सीमा में 20 दिन की वृद्धि करने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

16 जनवरी, 2015 ई०

संख्या 75/2015/19(120)/XXVII(8)/2012–चूंकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अत्एव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27, वर्ष 2005) की धारा 23 की उपधारा (1) तथा धारा 35, सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सहर्ष आदेश देते हैं कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के नियम 11 में किसी बात के होते हुए, कर के लिए दायी ब्यौहारी अथवा स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2014–15 से सम्बन्धित 30 सितम्बर को समाप्त होने वाले त्रैमास की सावधिक विवरणी दाखिल करने हेतु निर्धारित समय–सीमा में 20 दिन की वृद्धि की जाती है परन्तु इस वृद्धि हेतु प्रतिबन्ध यह होगा कि ब्यौहारी द्वारा इस अवधि का देय कर तथा स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा जमा योग्य टी0डी0एस0 की राशि नियम 11 में निर्धारित समय के अन्दर जमा कर दी गयी हो।

(विधि–अनुभाग)

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,

समस्त असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,

समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

22 जनवरी, 2015 ई0

पत्रांक 4864/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 05/14–15/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 96/2015/181(120)/xxvii(8)/08/देहरादून/दिनांक 20 जनवरी, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची–I एवं अनुसूची–II (ख) के सम्बन्ध में संशोधन किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

अधिसूचना

20 जनवरी, 2015 ई0

संख्या 96/2015/181(120)/XXVII(8)/08–चूंकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अत्एव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27, वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची–I एवं अनुसूची–II (ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

संशोधन

क्र0 सं0	अनुसूची	अनुसूची में वर्तमान प्रविष्टि एवं क्रम संख्या	संशोधित प्रविष्टि
1	2	3	4
1.	I	1. पशुओं द्वारा चलित गाड़ी तथा इस अधिनियम की किसी दूसरी सूची में उल्लिखित कृषि उपकरणों के अन्यथा मनुष्य या पशु या ट्रैक्टर द्वारा चालित कृषि उपकरण	1. इस अधिनियम की किसी दूसरी अनुसूची में उल्लिखित कृषि उपकरणों के, अन्यथा हाथ से अथवा पशु या ट्रैक्टर से संचालित कृषि उपकरण (जिसमें काष्ठ या इमारती लकड़ी से बने उनके पार्ट्स तथा एसेसरीज सम्मिलित नहीं हैं)

क्र० सं०	अनुसूची	अनुसूची में वर्तमान प्रविष्टि एवं क्रम संख्या	संशोधित प्रविष्टि
2.	I	7. मधुमक्खी का कृत्रिम घर और शहद	7. (i) शहद (ii) सागौन (टीक), देवदार, साल, शीशम, कैल अथवा सैन के अन्यथा सभी प्रकार/प्रजाति की इमारती लकड़ी अथवा काष्ठ से बना मधुमक्खी का कृत्रिम घर
3.	I	55. स्लेट (जिसमें लेखनपट सम्मिलित नहीं है), स्लेट पेन्सिल, तख्ती और लकड़ी के स्केल एवं डस्टर	55. स्लेट (जिसमें लेखनपट सम्मिलित नहीं हैं) और स्लेट पैंसिल
4.	II(B)	6. सभी प्रसंस्कृत व परिशोधित सब्जियाँ, शाकाहारी मशरूम तथा फल जिसमें फलों के जैम, जैली, स्क्वैश, पेस्ट फलों के पेय, फलों का रस और अचार (चाहे बन्द डिब्बों में हो अथवा अन्यथा) भी सम्मिलित हैं	6. सभी प्रसंस्कृत व परिशोधित सब्जियाँ, मशरूम तथा फल जिसमें फलों का जैम, जैली, फलों का स्क्वैश, पेस्ट, फलों का पेय, फलों का रस और अचार सम्मिलित हैं परन्तु जिसमें सभी प्रकार के सॉस, पोटेटो चिप्स, बनाना चिप्स तथा अन्य प्रकार के फल व सब्जियों के चिप्स सम्मिलित नहीं हैं (उक्त वस्तुएँ चाहे सील्ड कन्टेनर्स में हों अथवा अन्यथा)
5.	II(ख)	8. बहुमूल्य धातुओं को छोड़कर अल्यूमिनियम, लोहा व इस्पात, प्लॉस्टिक तथा अन्य सामग्री से बने सभी प्रकार के बर्तन (जिसमें प्रेशर कुकर/पैन भी सम्मिलित है), बाल्टियां एवं कन्टैनर्स, और इनैमिल के बर्तन	8. बहुमूल्य धातुओं को छोड़कर अल्यूमिनियम, लोहा व इस्पात, प्लॉस्टिक अथवा अन्य सामग्री से बने सभी प्रकार के बर्तन एवं इनैमिल के बर्तन (जिसमें प्रेशर कुकर/पैन भी सम्मिलित है), बाल्टियाँ, जग एवं मग
6.	II(ख)	9. "पैकिंग के सामान जिसमें (क) कागज, पेपर बोर्ड, कोरोगेटिड शीट्स, प्लॉस्टिक से बने बक्से, डिब्बे कार्टून, जैरी कैन, थैले, (ख) पुर्न—चक्रित कागज से बने मोल्डिड ट्रे, (ग) जूट एवं सन से बनाये गये टाट व बोरे, (घ) लेमिनेटेड जूट के बोरे, (ङ) खाली ग्लास, बोतल एवं फिअल्स भी सम्मिलित है"	9. "पैकिंग के सामान जिसमें (क) ऐसे बॉक्स, क्रेट, केस, कार्टून्स, जैरी कैन एवं थैले, जो कागज, पेपर बोर्ड, कोरोगेटिड शीट्स अथवा प्लॉस्टिक के बने हुए हों (ख) पुर्न—चक्रित कागज से बने मोल्डिड ट्रे, (ग) जूट एवं सन से बनाये गये टाट वक बोरे, (घ) लेमिनेटेड जूट के बोरे, (ङ) खाली ग्लास, बोतल एवं फिअल्स सम्मिलित हैं परन्तु काष्ठ अथवा इमारती लकड़ी से बने हुए पैकिंग के सामान सम्मिलित नहीं हैं

क्र0 सं0	अनुसूची	अनुसूची में वर्तमान प्रविष्टि एवं क्रम संख्या	संशोधित प्रविष्टि
7.	II(ख)	41. ड्रग्स, औषधियों और फार्मास्यूटिकल्स निर्मित (एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक तथा यूनानी), जिसमें टीके की दवा, सिरिंज व पट्टियाँ, औषधिक मल्हम, जो ड्रग लाइसेंस के अधीन उत्पादित हों और आई0पी0 श्रेणी का हल्का लिक्विड पैराफीन	41. ड्रग्स एवं औषधियां, चाहे पेटेन्ट हों या सांपत्तिक, जैसा कि ड्रग्स एवं कास्मेटिक्स अधिनियम, 1940 (केन्द्रीय अधिनियम 23, 1940) की धारा 3 (क) अथवा धारा 3 (ख) के खण्ड (i), (ii), (iii) एवं ड्रग्स एवं कास्मेटिक्स नियम, 1945 के नियम 2 (घघ) में परिभाषित हैं, जिसमें वैक्सीन, हाईपोडरनिक सिरिंजेज, हाईपोडरमिक निडिल, अंत्र–रज्जु, टांका (घाव सीने का धागा) शल्यक रूई, पट्टियां, प्लॉस्टर्स, कैथरटर्स, कैन्यूले, बैन्डेजेज, औषधिक मल्हम, जो ड्रग्स लाइसेंस के अधीन उत्पादित हों, आई0पी0 श्रेणी का हल्का पैराफिन एवं इसी प्रकार की वस्तुएँ सम्मिलित हैं किन्तु निम्नलिखित औषधियुक्त वस्तुएँ सम्मिलित नहीं है :— (i) सभी प्रकार का तेल, (ii) टूथ पेस्ट, टूथ पाउडर और अन्य दंत मंजन (iii) साबुन, (iv) शैम्पू (v) कॉस्मेटिक्स एवं टॉयलेट प्रिपरेशन्स, (vi) टेलकम पाउडर (vii) मच्छर विकर्षक किसी भी रूप में
8.	II(B)	125. लेखन उपकरण, ज्यामितीय डिब्बे, रंग के डिब्बे, रंग की पेंसिल, पेंसिल की तीक्ष्णक और वैज्ञानिक गणितीय, सर्वे, यांत्रिक रेखाचित्र और जैव उपकरण और यंत्र	125. लेखन उपकरण, ज्यामितीय डिब्बे, रंग के डिब्बे, रंग की पेंसिल, पेंसिल की तीक्ष्णक और वैज्ञानिक गणितीय, सर्वे, यांत्रिक रेखाचित्र और जैव उपकरण और यंत्र (लेकिन इनमें उक्त उत्पाद सम्मिलित नहीं है जो काष्ठ या इमारती लकड़ी से बने हों)
9.	II(B)	133. "प्लाईवुड उत्पाद अर्थात् ब्लैक बोर्ड, फ्लश डोर, विनीयर एवं कृषि अपशिष्ट जैसे बैगास से निर्मित प्लेन एवं प्रीलैमिनेटेड फाइबर व पार्टिकल बोर्ड्स एवं कृषि आधारित वृक्षों यथा यूकेलिप्टस एवं पापुलर के टिम्बर से निर्मित फाइबर बोर्ड्स व पार्टिकल बोर्ड्स"	133. कृषि अवशिष्ट आधार जैसे बैगास से निर्मित प्लेन एवं प्रीलैमिनेटेड फाइबर व पार्टिकल बोर्ड्स
10.	II(B)	नयी प्रविष्टि	145. मोल्डेड प्लॉस्टिक फुटवियर, हवाई चप्पलें एवं उनके स्ट्रैप्स

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 96/2015/181(120)/XXVII(8)/08, dated January 20, 2015 for general information.

NOTIFICATION

January 20, 2015

No. 96/2015/181(120)/XXVII(8)/08--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, with effect from the date of publication of this notification in Gazette, the following amendment in Schedule-I and Schedule-II (B) of the Uttarkhand Value Added Tax Act, 2005:--

Amendments

Sl.	Schedule	Sl. no. and the existing entry in the schedule	Amended / Added Entry
1	I	1.Cart driven by animal and agricultural implements other than those mentioned in any other schedule of this act, manually operated or animal driven or tractor driven.	1. Agricultural implements other than those mentioned in any other schedule of this act, manually operated or animal driven or tractor driven (excluding parts and accessories thereof which are made of wood or timber).
2	I	7. Beehive and honey	7. (i) Honey (ii) Beehive made of timber or wood of kinds/ species other than Teak, Devdar, Saal, Sheesham, Kail or Sain.
3.	I	55. Slate (excluding writing boards), slate pencils, takhti and wooden scale & duster	55.Slate(excluding writing boards) and slate pencils
4.	II(B)	6- All processed and preserved vegetables, vegetable mushrooms and fruits including fruit jams, jellies, fruit squash, paste, fruit drinks, fruit juices and achar (whether in sealed containers or otherwise)	6- All processed and preserved vegetables, mushrooms and fruits including fruit jams, jellies, fruit squash, paste, fruit drinks, fruit juices and achar but excluding all type of sauce and potato chips, banana chips and other fruit and vegetable chips.

Sl.	Schedule	Sl. no. and the existing entry in the schedule	Amended / Added Entry
			(whether above goods are in sealed containers or otherwise)
5.	II(B)	8. All utensils (including pressure cookers/pans), buckets and containers made of aluminium, iron and steel, plastic and other materials except precious metals and enamelled utensils	8. All utensils and enamelled utensils (including pressure cookers and pans), buckets, jugs & mugs, made of aluminium, "iron & steel", plastic or other materials except precious metals.
6.	II (B)	9. Articles of packing including (a) boxes, cases, cartons, jerry cans, bags made of paper, paper board, corrugated sheets, plastic (b) moulded tray made from re-cycled paper, (c) tat, bags made of jute and hemp goods (d) laminated jute bags(e) empty glass bottle and phials	9. Articles of packing including (a) boxes, *crates*, cases, cartons, jerry cans, bags made of paper, paper board, corrugated sheets or plastic (b) moulded tray made from re-cycled paper (c) tat, bags made of jute and hemp goods (d) laminated jute bags (e) empty glass bottle and phials, **but excluding article of packing made of wood or timber.**
7.	II (B)	41. Drugs, medicines and pharmaceutical preparations (Allopathic, Ayurvedic, Homeopathic and Unani) including vaccines, syringes and dressings, medicated ointments produced under drug license and light liquid paraffin of IP grade	41. Drugs and Medicine whether patent or proprietary; as defined in Section 3(a) or clauses (i), (ii) and (iii) of section 3(b) of The Drugs and Cosmetics Act, 1940 (Central Act 23 of 1940) or Rule 2(dd) of The Drugs and Cosmetics Rules, 1945; including vaccines, hypodermic syringes hypodermic needles, catguts, sutures, surgical cotton, dressings, plasters, catherters, cannulae, bandages, medicated ointments produced under drug license, light liquid paraffin of IP grade and similar articles but not including the following medicated goods- (i) all kinds of oil (ii) tooth pastes, tooth powder and other dentifrices (iii) soap (iv) shampoo (v) cosmetics and toilet preparations (vi) talcum powder (vii) mosquito repellents in any form

8.	II(B)	125. Writing instruments, Geometry boxes, colour boxes, crayons, pencil sharpeners and scientific, mathematical, survey, mechanical drawing and biology instruments and apparatus	125. Writing instruments, geometry boxes, colour boxes, crayons, pencil sharpeners and scientific, mathematical, survey, mechanical drawing and biology instruments and apparatus (excluding such above products *which are* made of wood or timber)
9.	II(B)	133. "plywood product namely black board, flush door, veneer and plain and pre-laminated fiber and particle boards made out of agro residue base, such as bagasse and fiber boards and particle boards made out of timber of agro based trees such as eucalyptus and poplar.	133. Plain and pre-laminated fiber and particle boards made out of agro residue base, such as bagasse.
10.	II(B)		145. Moulded plastic footwear, hawai chappals and their straps

(विधि—अनुभाग)

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,

समस्त असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,

समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड

22 जनवरी, 2015 ई0

पत्रांक 4865/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 05/14–15/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 97/2015/181(120)/xxvii(8)/08/देहरादून/दिनांक 20 जनवरी, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची–I एवं अनुसूची–II (ख) के सम्बन्ध में संशोधन किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

अधिसूचना

20 जनवरी, 2015 ई0

संख्या 97/2015/181(120)/XXVII(8)/08—चूंकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27, वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची–I एवं अनुसूची–II (ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

संशोधन

1. अनुसूची–I के क्रमांक 3 पर अंकित माल की प्रविष्टि को विलोपित समझी जायेगी।
2. अनुसूची–I के क्रमांक 66 पर अंकित माल की प्रविष्टि को विलोपित समझी जायेगी।
3. अनुसूची–II (ख) क्रमांक 122 पर अंकित माल की प्रविष्टि को विलोपित समझी जायेगी।
4. अनुसूची–II (ख) क्रमांक 129 पर अंकित माल की प्रविष्टि को विलोपित समझी जायेगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification **No. 97/2015/181(120)/XXVII(8)/08**, dated January 20, 2015 for general information.

NOTIFICATION

January 20, 2015

No. 97/2015/181(120)/XXVII(8)/08--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, with effect from the date of publication of this notification in Gazette, the following amendments in Schedule-I and Schedule-II (B) of Vat Act:--

AMENDMENTS

1. In Schedule-I, the goods specified at serial no. 3 shall be deemed deleted.
2. In Schedule-I, the goods specified at serial no. 66 shall be deemed deleted.
3. In Schedule-II(B), the goods specified at serial no. 122 shall be deemed deleted.
4. In Schedule-II(B), the goods specified at serial no. 129 shall be deemed deleted.

(विधि—अनुभाग)

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

22 जनवरी, 2015 ई0

पत्रांक 4866/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि—अनुभाग/पत्रा0 05/14—15/देहरादून—उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग—8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 98/2015/181(120)/xxvii(8)/08/देहरादून/दिनांक 20 जनवरी, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम सं0 74 वर्ष 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम सं0 10, वर्ष 1987) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना सं0-6222/I.F./2-2001/2000-2001, दिनांक 25 जुलाई, 2001 एवं अधिसूचना में संशोधन सम्बन्धी अधिसूचना सं0-822/xxvii(5)/Vyapar Kar/2004 दिनांक 03 जुलाई, 2004, अधिसूचना सं0-06/xxvii(8)/Vanijya Kar (CST)/2006, दिनांक 21—01—2006 एवं अधिसूचना सं0-937/xxvii(8)/Vanijya Kar (CST)/2006, दिनांक 19—12—2006 के सम्बन्ध में संशोधन किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा—निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

अधिसूचना

20 जनवरी, 2015 ई0

संख्या 98/2015/181(120)/XXVII(8)/08—चूंकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अत्एव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम सं0 74 वर्ष 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम सं0 10, वर्ष 1987) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना सं0-6222/I.F./2-2001/2000-2001 दिनांक 25 जुलाई, 2001 एवं इस अधिसूचना में संशोधन सम्बन्धी अधिसूचना सं0-822/XXVII(5)/Vyapar Kar/2004 दिनांक 03 जुलाई, 2004, अधिसूचना सं0-06/XXVII(8)/Vanijya Kar (CST)/2006, दिनांक 21—01—2006 एवं अधिसूचना सं0-937/XXVII(8)/Vanijya Kar (CST)/2006, दिनांक 19—12—2006 संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा निर्देशित करते हैं कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, किसी औद्योगिक निर्माता इकाई जिसका मुख्य व्यापार स्थल उत्तराखण्ड में हो, द्वारा, ऐसे मुख्य व्यापार स्थल से अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान किसी माल, जिस पर उक्त धारा की उपधारा (1) लागू होती हो, की बिक्री करने पर उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, तथा फार्म—'सी' में प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर, 1% (एक प्रतिशत) की दर से कर देय होगा।

शर्तें

1. ऐसी बिक्री, ऐसी निर्माता औद्योगिक इकाई द्वारा की गयी हो जिसका कि मशीन एवं संयंत्र में कुल पूँजी निवेश रुपये पच्चीस करोड़ या उससे कम हो;
2. पूँजी निवेश के ऐसे दावे के समर्थन में, अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, "एकाउन्टेन्ट" द्वारा ऑडिटेड बैलेंस शीट तथा कर निर्धारण प्राधिकारी की अपेक्षा के अनुसार अन्य सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत कर दिए गए हों;

उक्त के प्रयोजन हेतु "एकाउन्टेन्ट" से ऐसा एकाउन्टेन्ट अभिप्रेत है जैसा कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (3) के बाद अंकित स्पष्टीकरण में दिया गया है, पूँजी निवेश के दावे को सत्यापित करने के लिए कर निर्धारण प्राधिकारी मौके पर स्थापित प्लॉन्ट एवं मशीनरी का निरीक्षण कर सकता है। निरीक्षण किए जाने की दशा में, प्रस्तुत तुलन पत्र (बैलेंस शीट) अथवा अन्य अभिलेख की तुलना में पूँजी निवेश के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य न पाया गया हो;

3. ऐसी बिक्री ऐसी विनिर्माता औद्योगिक इकाई द्वारा की गयी हो जो निम्न में नियोजित (engaged) न हो—

(क) व्यापार (ट्रेडिंग),

(ख) खनन (माईनिंग),

(ग) स्टोन क्रशिंग,

(घ) शीरा (मोलासिस) का विनिर्माण व बिक्री,

(ङ) धान अथवा चावल का उत्पादन व बिक्री,

(च) टिम्बर अथवा टिम्बर के उत्पाद की बिक्री,

(छ) लीसा, बिरोजा अथवा तारपीन का तेल की बिक्री एवं निर्माण।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification No. 98/2015/181(120)/XXVII(8)/08, dated January 20, 2015 for general information.

NOTIFICATION

January 20, 2015

No. 98/2015/181(120)/XXVII(8)/08--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act no. 74 of 1956) read with section 21 of General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor is **pleased to accord sanction to make amendments in notification no. 6222/I.F./2-2001/2000-2001 dated 25 July, 2001 and notifications related to amendment in this notification viz notification no. 822/XXVII(5)/Vyapar Kar/2004 dated 3 July, 2004. Notification no. 06/XXVII(8)/Vanijya Kar (CST)/2006 dated 21-01-2006 and notification no 937/XXVII(8)/Vanijya Kar(CST)/2006 dated 19-12-2006** and direct that with effect from issue of this notification, the tax payable under sub-section (1) of the said section by any manufacturing industrial unit having his main place of business in Uttarakhand, in respect of the sales by him from any such place of business, in the course of inter-state trade or commerce, of any goods to which the said sub-section (1) applies, shall, **subject to the conditions hereinafter specified**, and, on furnishing the declaration in form 'C' ba calculated at the rate of 1%(One Percent).

CONDITIONS

1. The sales are made by manufacturing industrial unit whose Total Capital Investment in Plant and Machinery is less than Rs. 25 Crores;

2. In support of the claim of such investment, notwithstanding contained in the Act, a balance sheet auditad by an "Accountant" and other ralated documents as required by the Assessing Authority are produced:

For this purposa "Accountant" maans an Accountant as provided in the Explanation given aftar sub-section (3) of Saction 62 of the Uttarakhand Value Added Tax Act. To verify the claim of such investment, if the Assessing Authority finds it necessary, may inspect the site of installation of the Plant and Machinery; and

3. The sales are made by manufacturing Industrial Unit other than units engaged in--

(a) Trading,

(b) Mining,

(c) Crushing of stone,

(d) Manufacture and sale of Molasses,

(e) Manufacture and sale of Paddy or Rice,

(f) Manufacture and sale of Timber of Timber product,

(g) Manufactrure and sale of Resin, Rosin or turpentine oil.

(विधि–अनुभाग)

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

22 जनवरी, 2015 ई0

पत्रांक 4867 / आयु0कर उत्तरा0 / वाणि0क0 / विधि–अनुभाग / पत्रा0 05 / 14–15 / देहरादून–उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 99 / 2015 / 181(120)/xxvii(8)/2008/देहरादून / दिनांक 20 जनवरी, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005 ए समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 4 की उपधारा (7) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01, वर्ष 1904, उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना में दी गई शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन विक्रेता व्यापारी अपने द्वारा बेचे गये माल के सम्बन्ध में रियायती कर दर का दायी होगा के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना / करवाना सुनिश्चित करें।

अधिसूचना

20 जनवरी, 2015 ई0

संख्या 99 / 2015/181(120)/XXVII(8)/08–चूंकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005 ए समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 4 की उपधारा (7) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01, वर्ष 1904, उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, सहर्ष घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, अधिनियम में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ–साथ निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन विक्रेता व्यापारी अपने द्वारा बेचे गये माल के सम्बन्ध में रियायती कर दर का दायी होगा :–

(1) उपर्युक्त रियायती दर निम्न प्रकार अथवा प्रजाति के वृक्ष, चाहे वह उगाये, काटे अथवा चीरे गए हों, के टिम्बर अथवा वुड की खरीद या बिक्री पर लागू नहीं होगी :–

"सागौन (टीक), देवदार, साल, शीशम, कैल और सैन"

और धारा 4 की उपधारा (7) के खण्ड (ख) के अधीन किसी व्यौहारी को जारी मान्यता प्रमाण–पत्र तद्नुसार संशोधित समझा जायेगा और मान्यता प्रमाण–पत्र धारक व्यौहारी को खरीद पर, इस प्रकार की टिम्बर अथवा वुड की खरीद पर विशेष रियायत अनुमन्य नहीं होगी और नियम 23 में किसी बात के होते हुए मान्यता प्रमाण–पत्र धारक व्यौहारी इस प्रकार अथवा प्रजाति की टिम्बर अथवा वुड के लिए विक्रेता व्यौहारी को प्रमाण–पत्र (निर्धारित प्ररूप में) नहीं देगा।

(2) किसी प्रकार/प्रजाति के टिम्बर अथवा वुड की बिक्री अथवा खरीद के मामले में बिक्री अथवा खरीद इनवॉयस और विक्रेता व्यौहारी को दिए गए प्रमाण–पत्र में माल के विवरण में इसके प्रकार एवं प्रजाति का उल्लेख किया जायेगा।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification No. 99/2015/181(120)/XXVII(8)/08, dated January 20, 2015 for general information.

NOTIFICATION

January 20, 2015

No. 99/2015/181(120)/XXVII(8)/08--Whereas, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest ;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005, as amended from time to time) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904 as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to declare that, with effect from the date of publication of this notification in Gazette, the selling dealer shall be liable, in respect of the goods sold by him, to tax at a concessional rate subject to the following conditions and restrictions in addition to the other conditions or restrictions provided in the Act ;

(i) The aforesaid concessional rate shall not be applicable to the sale or purchase of Timber or Wood, of trees whether growing or cut or sawn, of the following kinds or species--

"Teak, Devdar, sal, Sheesham, Kail and Sain."

and the recognition certificate issued under clause (b) of sub-section (7) of section 4 to any dealer shall be deemed to have been amended accordingly and the recognition certificate holder shall not be eligible for the special relief on the purchase of such timber or wood and notwithstanding anything contained in rule 23, the recognition certificate holder shall not furnish to the selling dealer a certificate (in the prescribed Form) for such kinds or species of timber or wood.

(ii) in case of sale or purchase of any kind or species of timber or wood, its kind and species shall be mentioned, as description of goods, in the sale or purchase invoice and the certificate furnished to the selling dealer.

(विधि—अनुभाग)

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,

समस्त असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,

समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

22 जनवरी, 2015 ई0

पत्रांक 4868/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि—अनुभाग/पत्रा0 05/14—15/देहरादून—उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग—8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 100/2015/181(120)/xxvii(8)/08/देहरादून/दिनांक 20 जनवरी, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 71 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 में संशोधन से अवगत कराया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा—निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

अधिसूचना

20 जनवरी, 2015 ई0

संख्या 100/2015/181(120)/XXVII(8)/08—श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 71 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2014

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

नियम 21 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के नियम 21 के वर्तमान उपनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया जायेगा; अर्थात् :—

(6) (क) ऐसा ब्यौहारी अथवा व्यक्ति, उस ब्यौहारी अथवा व्यक्ति, जिससे कर की कटौती की गयी है, को कर की कटौती की धनराशि के सम्बन्ध में प्ररूप VIII(जिसे, कमिश्नर अधिनियम या नियम के प्राविधानों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए, शासन को सूचित करते हुए संशोधित कर सकते हैं), में एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। ऐसे टी0डी0एस0 प्रमाण पत्र में स्रोत पर कर कटौती करने के लिये दायी व्यक्ति का टीडैन(TDAN)/ टिन(TIN) तथा जिस ब्यौहारी से कटौती की गयी है, के टिन(TIN) का उल्लेख किया जायेगा।

(ख) यह प्ररूप, दो प्रतियों में, कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा स्रोत पर कर कटौती करने के लिये दायी ब्यौहारी अथवा व्यक्ति को जारी किया जायेगा। ऐसा ब्यौहारी अथवा व्यक्ति उस ब्यौहारी अथवा व्यक्ति, जिससे कर की कटौती की गयी है, को पूर्ण रूप से भरी हुई एवं सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित मूल प्रति जारी करेगा ;

परन्तु यह कि किसी विशेष तारीख अथवा किसी विशेष अवधि के बाद से जैसा कि उचित समझे कमिश्नर, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसा फार्म जारी किए जाने की व्यवस्था को समाप्त कर सकता है और ऐसे ब्यौहारी/व्यक्ति, जो स्रोत पर कर कटौती करने के लिये दायी है, को उसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली दाखिल किए गए डाटा/रूप–पत्र के आधार पर ऐसे फार्म, दो प्रतियों में, वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट से जनरेट एवं डाऊनलोड करने की अनुमति दे सकता है। कमिश्नर इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश भी निर्गत कर सकता है ;

(ग) ऐसे प्रमाण–पत्र की मूल प्रति प्राप्त होने पर कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसी धनराशि को उस ब्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा जमा किया गया समझेगा जिसके पक्ष में प्रमाण–पत्र जारी किया गया है बशर्ते कि प्रमाण–पत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित हो और जारी करने वाले ब्यौहारी अथवा व्यक्ति का टीडैन (TDAN)/टिन (TIN) एवं ब्यौहारी अथवा व्यक्ति जिससे कटौती की गयी है, का टिन (TIN) स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,

अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification **No. 100/2015/181(120)/XXVII(8)/08**, dated January 20, 2015 for general information.

NOTIFICATION

January 20, 2015

No. 100/2015/181(120)/XXVII(8)/08--In exercise of powers conferred by section 71 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 the Governor is pleased to make the following rules with a *view* to further amend the Uttarakhand Velue Added Tax Rules, 2005.

The Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Rules, 2014

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called The Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force at once.

Amendment in Rule 21

2. For the existing sub-rule (6) of rule 21 of the Uttarakhand Value Added Tax Rules, 2005 the following sub-rule shall be substituted, namely-

(6) (a) Such dealer or person shall issue to the dealer or person from whom tax has been deducted, a certificate in Form VIII (which can be amended by Commissioner, with objective to ascertain the compliance of the provisions of the Act or Rules, under intimation to the Govt.), regarding the amount of tax deducted. The TDAN/ TIN of the person liable to deduct tax at source and the TIN of the dealer from whom deduction has been made shall be mentioned on such TDS certificate.

(b) This Form, in duplicate, shall be issued by the assessing authority to the dealer/ person who is liable to deduct tax at source. Such dealer / person shall issue the completely filled and duly signed original copy to the dealer / person from whom tax has been deducted;

Provided that Commissioner, from a particular date or after a particular period which he deems fit may, discontinue the system of issue of such Forms by the Assessing Authority and allow the dealer/ person who is liable to deduct tax at source to electronically generate and download such Forms in duplicate from the official website of the Commercial Tax Department on the basis of the data/ return submitted electronically by him. Commissioner may, issue necessary instructions in this regard.

(c) The assessing authority on receipt of the original copy of such certificate, shall treat the amount to have been deposited by the dealer/person in whose favour the certificate has been issued provided that the certificate is completely filled and duly signed and the TDAN/TIN of the issuing dealer/person and the TIN of the dealer/person from whom deductions have been made, are clearly mentioned in such TDS certificate.

By Order,

RAKESH SHARMA,
Additional Chief Secretary.

पीयूष कुमार,
एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
मुख्यालय देहरादून।

(फार्म—अनुभाग)

विज्ञप्ति

22 जनवरी, 2015 ई0

पत्रांक 4875 / आयु0कर उत्तरा0 / फार्म—अनु0 / 2014—15 / आ0घो0प0 / खोया / चोरी / नष्ट हुए / दे0दून—उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली—2005 के नियम—30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म—16 / फार्म—11 जिसके खो जाने / चोरी हो जाने / मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम—30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ:—

क्र0 स0	व्यापारी का नाम व पता	खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मों / स्टैम्प की संख्या	खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मो / स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म / स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री बायोन प्लास्टिक, प्लॉट नं0 90—91, सैक्टर—IIDC सिडकुल, हरिद्वार। टिन—05010965972	प्ररुप—XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 5983173	खोने के कारण
2.	सर्वश्री विजन मैटल एडंस प्रा0लि0, डी—30, इण्डस्ट्रीयल एरिया बहादराबाद, हरिद्वार। टिन—05001975430	प्ररुप—XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 5937725	खोने के कारण
3.	सर्वश्री अम्बाडी ट्रेडर्स, 93 शाकुम्भरी एनक्लेव, दिल्ली रोड़ रूड़की। टिन—05013124319	प्ररुप—XVI (01)	U.K.VAT-M 2012 1258445	खोने के कारण
4.	सर्वश्री सूरज एन्टरप्राईजेज, कनखल हरिद्वार। टिन—05013472937	प्ररुप—XVI (02)	U.K.VAT-M 2012 5360228, 5360229	खोने के कारण
5.	सर्वश्री शेख भुल्लन एण्ड संस, काशीपुर। टिन—05007362228	प्ररुप—XVI (06)	U.K.VAT-M 2012 0297945, 1450601, 2397186, 2603228, 3415560, 3415589	खोने के कारण
6.	सर्वश्री शहनाज आयुर्वेदिक्स, इण्ड0 एरिया, लांघा रोड़, देहरादून। टिन—05005501477	प्ररुप—11 (01)	U.K.VAT-B- 2008 013073	खोने के कारण
7.	सर्वश्री मनमोहन ट्रेडर्स, 12 देहरादून रोड़, ऋषिकेश। टिन—05003556239	प्ररुप—XVI (02)	U.K.VAT-M 2012 0936199, 0936202	खोने के कारण

पीयूष कुमार,
एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
मुख्यालय देहरादून।

कार्यालय, एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून

विज्ञप्ति

23 जनवरी, 2015 ई0

पत्रांक 4891 / एडि0कमि0 / वाणि0क0 / विधि–अनुभाग / पत्रा0 03 / 14–15–देहरादून–ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, हरिद्वार संभाग, हरिद्वार के पत्रांक 2388, दिनांक 15–12–2014, पत्र संख्या 2459, दिनांक 20–12–2014 तथा पत्र संख्या 2560, 2548, दिनांक 31–12–2014, ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), वाणिज्य कर, नैनीताल संभाग, हल्द्वानी के पत्र संख्या 2177, दिनांक 07–01–2015 ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), वाणिज्य कर, देहरादून संभाग, देहरादून के पत्र संख्या 3174, दिनांक 17–12–2014 द्वारा कुल 18 पंजीकृत व्यापारियों के पंजीयन निरस्त किये जाने की सूचना से अवगत कराया है।

क्र0 स0	संभाग का नाम	व्यापारी का नाम	टिन नं0	निरस्तीकरण की तिथि
01	देहरादून	सर्वश्री नैन्सी फेब्रिक मर्चेन्ट एण्ड जनरल आर्डर गुसाई भवन एन0आई0एम0 रोड जोशीयाड़ा उत्तरकाशी	05014604248	01.11.2014
02	—उक्त—	सर्वश्री उत्तरा ट्रेडिंग कम्पनी गुसाई भवन एन0आई0एम0 रोड जोशीयाड़ा उत्तरकाशी	05014604345	01.11.2014
03	—उक्त—	सर्वश्री विश्वनाथ सैल्स कारर्पो0 गुसाई भवन एन0आई0एम0 रोड जोशीयाडा उत्तरकाशी	05014603181	01.11.2014
04	—हरिद्वार—	सर्वश्री सजीवनी इन्टर प्राइजेज 385 सुभाष नगर रुडकी	05014205675	08.12.2014
05	—उक्त—	सर्वश्री गुडलक ट्रेड लिंक 224 / 1 सुभाष नगर रुडकी	05014205966	08.12.2014
06	—उक्त—	सर्वश्री अरुण सैल्स कारर्पो0रुडकी	05011657291	09.07.2013
07	—उक्त—	सर्वश्री राठी एसोसियेटस 294 लालवाडा मगलौर रुडकी	05011371044	27.11.2014
08	—उक्त—	सर्वश्री सारा इन्टर प्राइजेज जी0टी0रोडनिकट कुआहेडी चेक पोस्ट गुरुकुल नारसन	0501365794	26.12.2014
09	—उक्त—	सर्वश्री दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी ग्राम रोहालकी किशनपुर हरिद्वार	05002039838	24.12.2014
10	—उक्त—	सर्वश्री श्री बाला जी इन्टर प्राइजेज बहादुरपुर जटट पथरी हरिद्वार	05014166972	24.12.2014
11	—उक्त—	सर्वश्री जे0के0ट्रेडिंग कम्पनी हरिद्वार	05014242147	24.12.2014
12	—उक्त—	सर्वश्री श्री साई ट्रेडिंग विवके विहार रानीपुर मोड हरिद्वार	05014466314	24.12.2014
13	—उक्त—	सर्वश्री ए0के0ट्रेडिंग कम्पनी कनखल रोड हरिद्वार	05001993181	24.12.2014
14	—उक्त—	सर्वश्री गणेश स्टील हरिद्वार	05011389959	24.12.2014
15		सर्वश्री इन्डियन ट्रेडर्स दादूपुर बहादराबाद	05011474543	05.11.2014

क्र0 स0	संभाग का नाम	व्यापारी का नाम	टिन नं0	निरस्तीकरण की तिथि
	—उक्त— —	हरिद्वार		
16		सर्वश्री राम स्टील सन्देश नगर कनखल हरिद्वार	05006824945	24.12.2014
17		सर्वश्री नेशनल हैवी वेस्ट स्कैप मैनेजमेन्ट सलेमपुर बहादराबाद हरिद्वार	05012617009	24.12.2014
18	नैनीताल सम्भाग हल्द्वानी	सर्वश्री शाइन ट्रेडर्स लालकुआ हल्द्वानी	05010953265	01.10.2014

उक्त निरस्त पंजीयन(टिन) से सम्बन्धित कुल 18 व्यापारियों की सूची उपरोक्तानुसार इस आशय से विज्ञापित की जा रही है कि उपरोक्त व्यापारियों द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियां पंजीयन निरस्तीकरण की तिथि से अवैध मानी जाय।

पीयूष कुमार,
एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 हिन्दी गजट/139—भाग 1—क—2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 मार्च, 2015 ई0 (फाल्गुन 16, 1936 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, दुगड्डा (पौड़ी गढ़वाल), उत्तराखण्ड

18 दिसम्बर, 2014 ई0

संख्या 2147/पॉलीथीन/गजट/2014–15–विज्ञप्ति सं0 2147, दिनांक 18–12–2014, नगर पालिका परिषद्, दुगड्डा गढ़वाल के उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (यथा संशोधित) की धारा 218(1) की सूची (एक) के खण्ड ज(ड) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी सीमान्तर्गत लोक सुरक्षा या सुविधा की अभिवृद्धि की दृष्टि से पॉलीथीन/कैरीबैग या इसी प्रकार को अन्य पॉलीथीन सामग्री एवं अन्य अपशिष्ट जैविक अजैविक जिससे गंदगी होने की सम्भावना हो पर नियंत्रण रखने हेतु उपविधियां तैयार कर दैनिक "जयन्त" समाचार–पत्र के दिनांक 19 अक्टूबर, 2014 के अंक में आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रकाशित किये गये थे। प्रकाशनोपरान्त निर्धारित अवधि में प्राप्त सुझाव का निराकरण उपरान्त बोर्ड प्रस्ताव सं0 03 दिनांक 27–11–2014 के अनुसार पॉलीथीन सामग्री पर नियंत्रण रखने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः उक्त उपविधियों को म्यु0ऐक्ट की धारा 301 के आशय के अनुरूप उ0प्र0 शासकीय असाधारण गजट में प्रकाशित किया जाता है, जो कि गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

उपविधि

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना–

(1) यह उपविधि नगर पालिका परिषद्, दुगड्डा पॉलीथीन/कैरीबैग नियंत्रण उपविधि–2014 कहलायेगी।

(2) यह नगर पालिका परिषद्, दुगड्डा की सीमान्तर्गत प्रवृत्त होगी।

(3) यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. परिभाषायें–

(1) जब तक इस विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि मे–

(क) 'ऐक्ट' का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम– 1916 (यथा संशोधित) से है।

(ख) 'नगर पालिका परिषद्' का तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, दुगड्डा (गढ़वाल) से है।

(ग) 'नगर पालिका सीमा क्षेत्र' का तात्पर्य उस सीमा क्षेत्र से है, जो कि शासकीय विज्ञप्ति सं0 704–एफ/11–ए—739–62 दिनांक 02 मार्च 1963 जो उत्तर प्रदेश सरकारी गजट दिनांक 09 मार्च 1963 को शासकीय गजट में दुगड्डा नगर की सीमा के लिए प्रकाशित व अनुसूचित की गई है।

(घ) 'अधिशासी अधिकारी' का तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, दुगड्डा (गढ़वाल) के अधिशासी अधिकारी से है।

(ङ) 'सफाई निरीक्षक' का तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, दुगड्डा के सफाई एवं खाद्य निरीक्षक से है।

(च) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् दुगड्डा के निर्वाचित अध्यक्ष से है.

(छ) 'पालिका बोर्ड' का तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, दुगड्डा के निर्वाचित सदस्यों व अध्यक्ष से है तथा बोर्ड के भंग हो जाने की स्थिति में प्रशासक से है।

प्रतिषेध

3. 40 माइक्रॉन से कम मोटाई व 8x12" साईज से छोटी पोलीथीन/कैरीबैग का भण्डारण, उत्पादन बिक्री और परिवहन तथा ऐसा अपशिष्ट को (जैविक अजैविक) सार्वजनिक स्थानों पर फेकने या लापरवाही से निस्तारित करने को प्रतिबंधित किया गया है, जिससे पर्यावरण की क्षति हो, प्रदूषण पैदा हो तथा नगर मे गन्दगी होने की सम्भावना हो।

4. पालिका क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति/व्यवसायी/दुकानदार/ धार्मिक अधिष्ठान के स्वामी नियम 3 मे प्रतिबंधित पॉलीथीन/कैरीबैग या अन्य प्रकार का ऐसा कोई पॉलीथीन क्रय/विक्रय नही करेगा और न ही बेचने की चेष्टा करेगा। तथा घरो दुकानो, सरकारी कार्यालयो से उत्पन्न अपशिष्ट (जैविक अजैविक) को सार्वजनिक रूप से न तो फेंकेगा ना ही फैलाएगा, ना ही लापरवाही से निस्तारित करेगा। जिससे पर्यावरण को क्षति हो, प्रदूषण पैदा हो तथा नगर मे गन्दगी होने की सम्भावना हो।

5. पालिका क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत स्थान/सार्वजनिक स्थान जैसे नदी/स्वयं की भूमि/नाली/ मकान/ आंगन/ बगीचा/शौचालय/मूत्रालय/दुकान के आगे–पीछे ऐसे पॉलीथीन/कैरीबैग अनुपयोगी प्लास्टिक के डिब्बे चायपत्ती के खाली रैपर्स/गुटकों के खाली रैपर्स जैसी अनुपयोगी वस्तुओं को नहीं रखेगा/फेंकेगा, जिससे पर्यावरण को क्षति हो, प्रदूषण उत्पन्न हो, जो मानव जीवन पशुजीवन के लिए घातक हो तथा जिससे गन्दगी होने की सम्भावना हो। पालिका क्षेत्रान्तर्गत आने वाले सामान की पैकिंग्स पर आने वाला पॉलीथीन/गत्ता/चिल्ला जो भी हो, क्रेता/विक्रेता अपने घर/ दुकान में एक बर्तन मे एकत्र कर रखेगा तथा पालिका के सफाई कर्मी को उसकी ड्यूटी के दौरान उसके सुपुर्द करेगा, जिसे ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन व हथालन) नियम–2000 के अनुसार पालिका द्वारा निस्तारित किया जायेगा।

अपशिष्ट मे (जैविक अजैविक) घरो की सब्जी के छिलके व खाद्य सामग्री लकड़ी प्लास्टिक धातु के टुकड़े व सीमेन्ट के खाली बैग जो पॉली पैक मे आते हो, रबर किस्म चिल्ला, चाय पत्ती के खाली रैपर्स, पराग दूध या इसी प्रकार दूध के अन्य रैपर्स, बिस्कुट पैकेटों के पॉली पैक रैपर्स/खाली डिब्बे विभिन्न प्रकार के तम्बाकू/गुटको आदि समस्त प्रकार के प्लास्टिक पैक रैपर्स, जो अनुपयोगी हो जाते हैं, को ऐसे सामान का केता/बिकेता/ मालिक या तो अपनी सुरक्षा मे रखेगा या अपने घर/दुकान में एक बर्तन मे एकत्र कर रखेगा, जिसे सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा पालिका के सफाई कर्मचारी को उसकी ड्यूटी के समय दिया जायेगा, जिसे पालिका द्वारा उपनियम में उल्लिखित विधि से निस्तारित किया जायेगा।

6. पालिका सीमान्तर्गत प्रवेश/गुजरने वाले कोई भी वाहन चालक/यात्री नगर की सीमा में पॉलीथीन की थैली/ कैरीबैग / पैकेट/डिब्बे/रैपर्स, जोकि पॉलीथीन की श्रेणी में हो और जिससे गन्दगी होने की सम्भावना हो, पालिका की सड़को/ गलियों या खुले स्थान/सार्वजनिक स्थान में नही फेंकेगा, बल्कि पालिका द्वारा इस हेतु निर्धारित डस्टबिन्स/पीले कन्टेनर मे ही डाल सकेगा।

7. कोई भी विकेता, केता खाद्य सामग्री के भण्डारण, ले जाने, वितरण एवं पैकेजिंग के लिए पुनः चकित प्लास्टिक से बने कैरी बैग या पात्रों का उपयोग नहीं करेगा।

8. खाद्य सामग्री के भण्डारण या पैकेजिंग से भिन्न प्रयोजन के लिए पुनः चकित प्लास्टिक से बने कैरी बैग और पात्रो का विनिर्माण भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश भ0मा0/9833:1981 के अन्तर्गत इंगित रंजको (पिगमेंट) एवं रंगकों (कलरेन्ट) द्वारा किया जाएगा।

पालिका सीमान्तर्गत जिस किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों भवन स्वामियों/किरायेदारों, कुलियों, मजदूरों के अगल-बगल, जिसकी सीमान्तर्गत ऐसे पॉलीथीन/कैरीबैग या अन्य प्रकार का पॉलीपैक जैसे पराग दूध के अनुपयोगी रैपर्स या इसी प्रकार का अन्य अनुपयोगी पॉलीपैक सामग्री तथा घरो, दुकानो सरकारी, गैर सरकारी, कार्यालयों, संस्थानो, धर्मिक आयोजन कर्ताओ धार्मिक स्थानो के द्वारा पैदा किए जाने वाले अपशिष्ट (जैविक अजैविक) सार्वजनिक स्थलों पर गिराना निस्तारित करना, सड़को आदि पर इकट्ठा करना, जिससे गन्दगी उत्पन्न हो और होने की सम्भावना हो, वह दण्डनीय अपराध के अन्तर्गत माना जायेगा।

शास्ति

1. जो कोई व्यक्ति/व्यक्तियों/व्यवसायी/दुकानदार/संस्थानो/गृह स्वामियो/सरकारी गैर सरकारी कार्यालयो, धार्मिक संस्थानो आयोजको या कम्पनियों द्वारा इस उपविधि के किसी अंश या उसके तहत जारी आदेशो का उल्लंघन किया जायेगा, वह 5000/--रू0 (पांच हजार रूपये) जुर्माने अथवा 1 माह के कारावास अथवा दोनो से दण्डनीय होगा और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहता है तो वह 100/--रू0 प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त दण्डित होगा।

2. जो कोई भी व्यक्ति/व्यवसायी/दुकानदार इस उपविधि के अधीन किसी भी रीति से अपराध करने, अपराध में सहायता, दुष्प्रेरणा करता है, या उपसाधक है, या दोष सिद्ध होने पर अपराध के लिए चिन्हित कारावास से दण्डित किया जायेगा।

3. नगर पालिका परिषद्, दुगड्डा के अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पालिका के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी को अधिकार होगा कि वह इस प्रकार के अपराधों के लिए तात्कालिक रूप से रु0 100 से 500/— रु0 (पाँच सौ रुपये मात्र) तक नकद रूप में अर्थदण्ड ले सकते है।

दीपक बडोला,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, दुगड्डा।

अजहर अली,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, दुगड्डा।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 हिन्दी गजट/139—भाग 8—2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।